Annexure-VII

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यवसायिक परिसर, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492099

क्रमांक 4996/ मु /तक./छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 19/1/2016

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग–भिलाई/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर

विषय :– Ease of Doing Business के संबंध में।

----:oo:----

आपको विदित है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 'Ease of Doing Business' के अंतर्गत् आवेदन पत्रों का सरलीकरण, स्वीकृति/अनुमोदन हेतु वांछित प्रकियाओं का सरलीकरण, प्रकियाओं के लिए समयसीमा का निर्धारण आदि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं। इस अनुकम में मंडल मुख्यालय द्वारा आपको आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये हैं। Ease of Doing Business प्रकिया में और सुधार करने के दृष्टिगत आपको निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

1. निरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदनों में Risk Assessment के आधार पर High Risk वाली इकाईयों का निरीक्षण प्राथमिकता के आधार पर किया जावे।
2. किसी भी अधिकारी द्वारा एक ही इकाई का निरीक्षण लगातार दो बार न किया जावे अर्थात् प्रत्येक इकाई का दूसरी बार निरीक्षण प्रथम निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा न किया जाकर, किसी दूसरे अधिकारी द्वारा किया जावे।
3. हरी श्रेणी के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त रखा जावे।
4. उद्योगों की निरीक्षण रिपोर्ट पूर्व में जारी आदेश (कमांक 1189 दिनांक 19/06/2015) में उल्लेखित समयसीमा 72 घंटे के स्थान पर 48 घंटे में भेजा जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे एवं की गई कार्यवाही से मंडल मुख्यालय को कार्यालय को अवगत करावे।

19/1/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 4997/मुख्यालय/छ.ग.प.सं.मं./2016 रायपुर, दिनांक 19/1/2016

सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

19/1/16

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)